

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/190
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00150
CICOM/R/2019/00523

दिनांक: 05.09.2019

अपीलकर्ता : श्री इकबाल अहमद,
द्वारा - श्री जेड. ए. खान, एडवोकेट,
भवन सं. 73, मरकज मस्जिद रोड,
कैला भट्टा, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201001.

निर्णय की तारीख: 05.09.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	26.06.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.07.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.08.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	16298/21.08.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 26.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2019 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार प्रथम अपील खारिज की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



पीयूष अग्रवाल
(पीयूष अग्रवाल)

पंजीयक एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26105021

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

06/09/19

6.9

